भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या -877**

(जिसका उत्‍तर 03 मार्च, 2015/12 फाल्‍गुन 1936 (शक) को दिया जाना है)

**केन्द्रीय कानूनों के अधीन अनिवार्य व्यय के लिए राजस्थान को क्षतिपूर्ति**

**877. श्री अश्क अली टाकः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय कानूनों के अधीन राज्यों द्वारा किए जाने वाले अनिवार्य व्यय के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु निवेदन किया है; यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की योजना तथा गैर योजना व्यय के बीच अंतर समाप्त करने हेतु निवेदन किया है; यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्‍न नहीं उठता।

\*\*\*\*